आरबीआई व्यापार राहत उपाय निर्देश, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वैश्विक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न व्यापारिक बाधाओं से प्रभावित ऋण-सेवा भार को कम करने तथा व्यवहार्य व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, अपने परिपत्र संख्या RBI/2025-26/96 DOR.STR.REC.60/21.04.048/2025-26 दिनांक 14 नवंबर 2025 ("निर्देश") के माध्यम से नियामकीय उपायों की घोषणा की है।

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित उक्त राहत उपायों के अनुपालन में, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ने उन पात्र उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु एक नीति लागू की है, जिनके व्यवसाय वैश्विक व्यापारिक व्यवधानों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। ये उपाय, बैंक की आंतरिक नीति तथा आरबीआई के दिशानिर्देशों के अधीन पात्रता और मूल्यांकन के आधार पर, अस्थायी ऋण-सेवा दबाव को कम करने और व्यवहार्य निर्यात-उन्मुख व्यवसायों की निरंतरता को समर्थन देने के लिए बनाए गए हैं।

वैश्विक व्यापारिक व्यवधानों के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत जानकारी प्राप्त करने तथा व्यापार राहत उपायों के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों का पता लगाने हेतु अपनी निकटतम आईडीबीआई बैंक शाखा से संपर्क करें। राहत का मूल्यांकन नियामकीय आवश्यकताओं एवं बैंक की आंतरिक नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक मामले में अलग-अलग किया जाएगा।